

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 989 ]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 — पौष 10, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

### अधिसूचना

क्र. / 4065 / 3290 / 21-ब / छ.ग. / 2025.— राज्य शासन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 2 की उप-धारा (7) में अंतर्विष्ट अभिव्यक्त “शासकीय अभिभाषक” के संदर्भ में, श्री विवेक शर्मा, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ को उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 33 नियम 6 तथा आदेश 27 नियम 4 में उल्लेखित किये गये कृत्यों को छोड़कर उन समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का, जो कि शासकीय अभिभाषक पर उक्त संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूपेण अधिरोपित हो, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में पालन करने के लिए, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है।

No./4065/3290/XXI-B/C.G./2025.— The State Government, with reference to expression "Government Pleader" contained in sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Prosedure, 1908 (No. V of 1908), appoints Shri Vivek Sharma, Advocate General, Chhattisgarh as Government Pleader to perform in the High Court of Chhattisgarh all or any of the functions expressly imposed by the said code on the "Government Pleader" except the functions specified in Order XXXIII Rule 6 and Order XXVII Rule 4 of First Schedule thereof, with effect from the date he assumes charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

1977